उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–15/2007–08

अमित कुमार बोस

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 14/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता निमाई चन्द्र बोस, पे0–स्व0 नलिन चन्द्र बोस, सा0–बाबूपाड़ा, गोड्डा, थाना–गोड्डा टाउन, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–12/2005–06 के आदेश दिनांक–10.11.2006 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0 –12/2005–06 के आदेश दिनांक–10.11.2006 के द्वारा मौजा असनबनी के जमाबंदी सं0–07 दाग नं0–15 रकवा 00–01–00 धुर जमीन से किसून साह वो दाग नं0–15 रकवा 00–01–00 धुर जमीन से कालेश्वर साह को उच्छेद किया गया है। साथ ही अपीलकर्त्ता निमाई चन्द्र बोस को भी जमीन से उच्छेद किया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया है। अपीलवाद में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादीगण को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

प्रक्रिया चलने के दौरान अपीलकर्त्ता निमाई चन्द्र बोस की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र अमित कुमार बोस को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–2 गजनफर अली, उत्तरवादी सं0–3 मुज्जफफर अली, उत्तरवादी सं0–4 आजाद हुसैन एवं उत्तरवादी सं0–5 सज्जाद हुसैन के द्वारा मौजा–असनबनी के जमाबंदी सं0–7 दाग नं0–15, दाग नं0–274 एवं दाग नं0–278 की

जमीन से अपीलकर्त्ता एवं अन्य को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था। उत्तरवादीगण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दिया गया है और उक्त प्रावधान के तहत बेदखल होने के एक वर्ष के अंदर आवेदन दाखिल किया जाना था। लेकिन उत्तरवादीगण के द्वारा अपने आवेदन में न तो बेदखल होने का वर्ष अंकित किया है और न ही जमीन का सही रकवा अंकित किया गया है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज नलिन चन्द्र बोस को लगान का भुगतान करने के कारण मूल रैयत को जमीन से उच्छेद करने के पश्चात प्राप्त हुआ था। उत्तरवादीगण के पूर्वज के पास उक्त जमीन का लगान बकाया हो गया था। जिस कारण उपरोक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए उत्तरवादीगण के पूर्वज के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उच्छेदी वाद सं0–2946/1933–34 प्रारम्भ किया गया एवं उपरोक्त जमीन से उत्तरवादी सं0 2 से 5 तक के पूर्वज को उच्छेद किया गया एवं अपीलकर्त्ता के पूर्वज नलिन चन्द्र बोस के द्वारा उक्त बकाया लगान का भुगतान किये जाने के कारण उनके साथ जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–15 रकवा 06–07–05 धुर, दाग नं0–274 रकवा 03–07–00 धुर एवं दाग नं0–278 रकवा 05–12–15 धुर की बंदोवस्ती की गयी और न्यायालय प्रक्रिया के तहत आदेश दिनांक– 24.07.1939 के द्वारा उपरोक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता के पूर्वज नलिन चन्द्र बोस को दखल दिहानी भी दिलाया गया। उनका आगे कथन है कि टाईटल सूट नं0–7/87 के आदेश के द्वारा अपीलकर्त्ता के पूर्वज के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उपरोक्त जमीन पर स्वत्व एवं अधिकार का निर्धारण किया जा चुका हैं। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0 2 से 5 तक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता को छोड़कर अन्य विपक्षीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में कुर्फा से जमीन प्राप्त करने का दावा किया था। इसलिए निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता एवं अन्य विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया गया। उनका

आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने आर0ई0आर0 केश नं0–2946/1933–34 से उपरोक्त जमीन प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा उपरोक्त जमीन के अन्तर्गत की जमीन अन्य विपक्षियों को अवैध ढंग से हस्तान्तरण किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1166/रा0 दिनांक–29.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–असनबनी नं0–501 अन्तर्गत जमाबंदी नं0–07 कुल रकवा 35–10–13 धुर गत सर्वे पर्चा एवं पंजी–II में मिर्जा असरफ हुसैन व मिर्जा असुफ हुसैन के नाम से दर्ज है। वर्णित दाग नं0–15, 274 एवं 278 उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत है। उत्तरवादी सं0–2, 3, 4 एवं 5 जमाबंदी रैयत के वंशज है। जमाबंदी के दाग नं0–15, 274 एवं 278 कुल रकवा 15–00–00 धुर जमीन आर0ई0आर0 केश नं0–2964/1933–34 द्वारा निमाय चन्द्र बोस को प्राप्त है तथा टाईटल सुट केश नं0–7/1987 निमाय चन्द्र बोस बनाम बीबी सवेरा खातुन एवं अन्य के मामले में अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश पारित है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–12/2005–06 गजनफर अली वगै0 बनाम् यशोद देवी वगै0 के मामले में भूमि हस्तान्तरण का दोषी मानते हुए निमाय चन्द्र बोस एवं अन्य को उक्त भूमि से उच्छेद की गई है। वर्तमान अपीलकर्त्ता निमाय चन्द्र बोस के पुत्र है। वर्णित दाग के अधिकांश भूमि पर विभिन्न अन्य व्यक्तियों का मकान निर्मित है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–असनबनी के जमाबंदी सं0 7 कुल रकवा 35–10–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मिर्जा असरफ हुसैन वो मिर्जा उसुफ हुसैन के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0 7 के अन्तर्गत दाग नं0–15, 274 एवं 278 रकवा 15–00–00 धुर जमीन से

आर0ई0आर0 केश नं0–2964/1933–34 द्वारा लगान बकाया होने के कारण मूल रैयत को उच्छेद किया गया एवं नलिन चन्द्र बोस के साथ उक्त जमीन को बंदोवस्ती की गयी है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त दाग नं0 रकवा 00–01–00 धुर जमीन किसन साह एवं रकवा 00–01–00 धुर जमीन कालेश्वर साह को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत हस्तान्तरित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–12/2005–06 में दिनांक–10.11.2006 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 11:45:03 +05:30
Location: 172.21.32.1